☎: 9431492159

स्थापित- 1979 ई०

द्वारका नाथ महाविद्यालय, मसौढ़ी

D.N. College, Masaurhi, Patna - 804452

(बिहार सरकार द्वारा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना-20 के अन्तर्गत कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में स्नातक प्रतिष्ठा स्तर तक स्थायी सम्बंधन प्राप्त)

[यू० जी० सी० एक्ट के अन्तर्गत 2f एवं 12B में पंजीकृत/एस० आर० एक्ट-नि० सं० 590/88-89]

प्रेषक : अध्यक्ष/सचिव/प्रधानाचार्य

दिनांक : 08/08/23

पत्रांक P/302/23

सेवा में,

कुल सचिव,
पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना

विषय :- पत्रांक R/PPU/1729/23 दिनांक 07-08-2023 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्गत महाविद्यालय का संबंधन पत्र (स्थायी /अस्थायी) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय का निर्गत सम्बन्धन पत्र (स्थायी /अस्थायी) कि छाया - प्रति (हस्ताक्षरित) भेजा जा रहा है ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ -

अनुलग्नक:- पृ०-01-07

(हस्ताक्षर) 08/08/23

प्रभारी प्राचार्य
Professor in-charge
D.N. College, Masaurhi
डी० एन० कॉलेज
मसौढ़ी, पटना

(हस्ताक्षर) 08/08/23

प्रेषक,

श्री ए० के० विश्वास,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

कुल सचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोध गया।

पटना, दिनांक दिसम्बर, 1982

विषय:- द्वारिका नाथ महाविद्यालय, जल्लीचक, मसौढ़ी (पटना) का सम्बन्धन ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्रांक 1079-76 दिनांक 1-12-80 एवं 1966-67/जी III दिनांक 12-12-80 के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार ने विशेष परिस्थिति में प्रस्तावित द्वारिका नाथ महाविद्यालय, जल्लीचक, मसौढ़ी (पटना) को पूर्णतया अस्थायी औपबन्धिक रूप से निम्नांकित संकाय में 1980-81 से दो वर्षों के लिये नया सम्बन्धन देने के प्रस्ताव से सहमत है :-

बी०ए० - अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित, संस्कृत एवं पाली ।

आई०एस०सी०- भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, गणित ।

2- सम्बन्धन के फलस्वरूप पद सृजन या अन्य किसी प्रकार के कार्य पर होने वाले वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं होगी ।

3- इस बीच तीन माह के भीतर प्रबन्ध समिति निर्धारित शुल्क जमा कर इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद की स्वीकृति प्राप्त कर ले ।

4- निदेशक (उच्च शिक्षा), बिहार, पटना को सूचित कर दिया गया है ।

5- सम्बन्धित प्रधानाचार्य को उक्त निर्णय से शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ।

विश्वासभाजन

ह०- (ए० के० विश्वास)
सरकार के अपर सचिव, बिहार ।

ज्ञापांक V/S/L पटना, दिनांक 5 दिसम्बर, 1982

प्रतिलिपि निदेशक (उच्च शिक्षा), बिहार, पटना/ प्रधानाचार्य, द्वारिका नाथ महाविद्यालय, जल्लीचक, मसौढ़ी, पटना/ सचिव, कालेज सेवा आयोग, पटना/ सचिव, इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, 14/19, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(ए० के० विश्वास)
सरकार के अपर सचिव, बिहार ।

8/8/2?

अनुलग्नक-1

25
2

पत्रांक-15/ए 1-60/97 उ0-157/
बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग।

प्रेषक,
श्री उमा शंकर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव, बिहार।

सेवा में,
कुल सचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक- 28-2-97

विषय :- द्वारिका नाथ महाविद्यालय, अतीचक, मसौढ़ी, पटना के स्थायी सम्बन्धन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- 93/जी II ए दि0-22-4-93 एवं पत्रांक- 94/जी III ए0 दिनांक- 22-4-93 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने द्वारिका नाथ महाविद्यालय, अतीचक, मसौढ़ी, पटना को स्थायी- विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित संकायों/विषयों में पास स्तर पर चालू सत्र से वित्त रहित एवं शर्त रहित स्थायी सम्बन्धन के प्रस्ताव में निम्नांकित शर्तों के साथ सहमति प्रदान करने की कृपा की है :-

संकाय/स्तर	विषय
कला पास -	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित, संस्कृत एवं मैथिली, सांख्यिकी, प्राचीन इतिहास एवं [illegible] अध्ययन (कुल पन्द्रह विषय)।
कला प्रतिष्ठा -	
विज्ञान पास -	भौतिकी, रसायन, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान।
विज्ञान प्रतिष्ठा -	
वाणिज्य पास -	वाणिज्य ग्रुप में।
वाणिज्य प्रतिष्ठा -	

2- सम्बन्धन/दीर्घीकरण की अवधि की समाप्ति के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संकायों/विषयों में नव सम्बन्धन के प्रस्ताव में सहमति प्रदान किए बिना अथवा पूर्व से स्वीकृत सम्बन्धन का दीर्घीकरण हुए बिना किसी भी परि-स्थिति में महाविद्यालय द्वारा छात्रों का नामांकन नहीं किया जायेगा। किसी भी स्थिति में राज्य सरकार की सहमति की प्रत्याशा में छात्रों का नामांकन नहीं किया जायेगा।

3- सम्बन्धन/दीर्घीकरण के लिए आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की अनुशंसा के उपरान्त 30 नवम्बर तक अवश्य जमा किए जाऐं ताकि उन्हें अगले सत्र के संचालन हेतु जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके।

4- सभी महाविद्यालयों को सम्बन्धन की शर्तों को बराबर पूरा करते रहना पड़ेगा।

5- निदेशक उच्च शिक्षा, बिहार को सूचित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(उमा शंकर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।
28/2/97

राजेन्द्र/ 20-2-97 :

PRINCIPAL
D.N. College, Masaurhi (Patna)
5/6/

अनुलग्नक नं.-5 3

पत्रांक-15/ए 1-60/97 उ0----------/

बिहार सरकार

उच्च शिक्षा विभाग।

******

प्रेषक,

श्री ए0 के0 श्रीवास्तव,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

कुल सचिव,
मगध विश्व विद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक जुलाई, 98

विषय:- सुखा रिखा नाथ महाविद्यालय, जतीचक, मसौढ़ी, पटना का प्रतिष्ठा स्तर तक का स्थायी सम्बन्धन।-

महोदय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सुखा रिखा नाथ महाविद्यालय जतीचक, मसौढ़ी, पटना को निम्नांकित संकायों/विषयों में प्रतिष्ठा स्तर का अधोलिखित शैक्षिक सत्रों तक के लिए वित्त रहित एवं इन्टर रहित स्थायी सम्बन्धन के प्रस्ताव में निम्न प्रकार से शर्तों के साथ सहमति प्रदान करने की कृपा की है:-

संकाय/स्तर	विषय	सत्र से स्थायी सम्बन्धन
स्नातक (कला) प्रतिष्ठा	अर्थशास्त्र, पाली, समाजशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, गणित, भूगोल, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, मगही, हिन्दी, उर्दू (कुल तेरह विषय)	सत्र 1997-98 से स्थायी सम्बन्धन
वाणिज्य ग्रुप में प्रतिष्ठा-	वाणिज्य सभी ग्रुप में	सत्र 1997-98 से स्थायी सम्बन्धन
स्नातक (विज्ञान) प्रतिष्ठा-	भौतिकी, जन्तु विज्ञान, रसायनशास्त्र (कुल तीन विषय)	सत्र 1997-98 से स्थायी सम्बन्धन

महाविद्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की सहमति की प्रत्याशा में छात्रों का नामांकन नहीं किया जायगा।

महाविद्यालय को सम्बन्धन की शर्तों को बराबर पूरा करते रहना पड़ेगा। उपर्युक्त स्थायी सम्बन्धन के फलस्वरूप महाविद्यालय जमीन और पुस्तकालय सम्बन्धी कमी की पूर्ति यथाशीघ्र कर लें।

प्रतिष्ठा स्तर में अन्य नये विषयों में सम्बन्धन के प्रस्ताव को शर्तों की पूर्ति होने तक स्थगित रखा जाता है।

निदेशक, उ0 शि0, बिहार को सूचित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

ह0

(ए0 के0 श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव।

4

पत्र संख्या – 15/ए–1–60/87 – 2035
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

प्रकाश चन्द्र सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कुल सचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक 28.6.10।

विषय :– द्वारिका नाथ महाविद्यालय, मसौढ़ी को स्नातक कला स्तर का नव सम्बंधन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 304/G-III A दिनांक 1.12.08 एवं पत्रांक 88/ G III A दिनांक 8.0.06 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने द्वारिका नाथ महाविद्यालय, मसौढ़ी को विश्वविद्यालय के अनुशंसा के आलोक में स्नातक कला पास एवं प्रतिष्ठा स्तर में इन्टर रहित निम्नांकित विषयों में नव सम्बंधन प्रदान करने की कृपा की है।

क्रम सं0	संकाय स्तर	विषय	शैक्षणिक सत्र
1	2	3	4
1.	स्नातक कला पास स्तर	गृह विज्ञान, बौद्ध अध्ययन, लोक प्रशासन एवं मैथिलि।	वर्तमान सत्र से तीन सत्रों के लिये नव सम्बंधन।
2	स्नातक कला प्रतिष्ठा स्तर	गृह विज्ञान, लोक प्रशासन, बौद्ध अध्ययन तथा मैथिलि।	सत्र 2007–08 से 2009–10 तक नव सम्बंधन

2. पत्र निर्गत की तिथि से तीन माह के अन्दर अंकेक्षण कराकर प्रतिवेदन भेजें।
3. उपर्युक्त सम्बंधन विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21.11.08 से आच्छादित होगा।
4. निदेशक(उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास विभाग को सूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–15/ए–1–60/87 – 2035 पटना, दिनांक 28.6.10

प्रतिलिपि: निदेशक(उ0शि0), मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, द्वारिका नाथ महाविद्यालय, मसौढ़ी/ प्रशाखा–15, मानव संसाधन विकास विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.6.10

(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

7.6.10

D:\New Rajesh Letter.doc

5

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

[illegible] नारायण सिंह,
सरकार के अपर सचिव, बिहार।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक- [illegible]-06

विषय:- [illegible] महाविद्यालय, मसौढ़ी, पटना को स्नातक [illegible] में प्राकृत, पालि, अर्धमागधी एवं बौद्ध अध्ययन [illegible] का संसूचन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-405 दिनांक- 16-7-91 एवं 26 [illegible] निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने दिनांक- 4-4-06 के प्रसंग में [illegible] विश्वविद्यालय की अनुशंसा [illegible] महाविद्यालय, मसौढ़ी, पटना को विश्वविद्यालय [illegible] सत्र 2005-06 के आलोक में निम्नांकित संकायों, [illegible] स्तर तक प्राकृत, पालि, अर्धमागधी 2006-07 तक पूर्व में स्नातक [illegible] एवं बौद्ध अध्ययन विषयों में [illegible] प्रदान करने की [illegible] के प्रसंग में [illegible] दी है :-

क्र0 सं0	संकाय/स्तर	विषय	अवधि/सत्र
1	2	3	
(1)	स्नातक प्रतिष्ठा स्तर	(1) प्राकृत (2) पालि, अर्धमागधी (3) बौद्ध अध्ययन (कुल-3 तीन विषयों में)	सत्र 2005-06 से 2006-07 तक [illegible]

2. उक्त संबंध में [illegible] राज्य सरकार द्वारा वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।

3. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचित कर दिया जाता है।

विश्वासभाजन,
ह0/-
([illegible] नारायण सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-15/ए 1-60/87 उ0शि0 1036 पटना, दिनांक- 29.5.06

प्रतिलिपि:- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, [illegible] सेवा आयोग, पटना/ संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य [illegible] उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव।

Principal
D.N.College, Masaudhi (Patna)

Professor In-charge
D.N.College, Masaudhi, (Patna)

[illegible]

...उपर्युक्त [illegible] 12-07-2012 ...
... सरकार द्वारा [illegible] के आलोक में [illegible] ...
... स्नातक महिला प्रतिष्ठा स्तरीय ... निम्नांकित विषयों में स्थायी संबंधन (... ...) ...

[illegible]	[illegible]	[illegible] विषय	[illegible]
1.	स्नातक महिला प्रतिष्ठा स्तर	गृह विज्ञान, म्यूजिक स्टडीज, लोक प्रशासन एवं गणित।	सत्र 2010-11 से स्थायी संबंधन [illegible]

2. उपरोक्त संबंधन राजभवन सचिवालय के पत्रांक 1096 दिनांक 19-04-1980 तथा विभागीय संकल्प संख्या-1540 दिनांक 21-11-05 से आच्छादित होगा।

3. निदेशक(उ०शि०), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 18/2/14

ज्ञापांक-15/ए1-60/1987-331

प्रतिलिपि:- निदेशक(उ०शि०), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधानाचार्य, हरिवंशनाथ महाविद्यालय, मसौढ़ी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
पटना

Principal
U.N.College, Musaurhi (Patna)

Professor-in-charge
U.N.College, Masaurhi (Patna)

PATLIPUTRA UNIVERSITY
PATNA-800020

E-mail: [illegible]
[illegible]

Ref.no:-.................................. Date:- ....

अधिसूचना

सरकार के उपसचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 15/म3-14/2022-162, पटना, दिनांक 22.06.2022 के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 21(2)(d) में निहित प्रावधानों के तहत डी०एन० कॉलेज, मसौढ़ी, पटना को स्नातक विज्ञान एवं कला संकाय के प्रतिष्ठा स्तर के प्रस्तावित विषयों में निम्न प्रकार संबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	संकाय	विषय	संबंधन की अवधि
1.	विज्ञान (प्रतिष्ठा स्तर)	वनस्पति शास्त्र, सांख्यिकी एवं गणित	सत्र 2022-23 से स्थायी संबंधन
2.	कला (प्रतिष्ठा स्तर)	राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, एल०एस०डब्ल्यू० एवं प्राकृत।	

ह०/-
(डॉ० जितेन्द्र कुमार)
कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक:- R/220/1913/22 दिनांक:- 24.06.2022

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार।
2. प्राचार्य/सचिव, डी०एन० कॉलेज, मसौढ़ी, पटना।
3. डी०एस०डब्ल्यू०/परीक्षा नियंत्रक पी०पी०यू०, पटना।
4. महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान)/(कला एवं वाणिज्य), पी०पी०यू०, पटना।
5. माननीय कुलपति महोदय/कुलसचिव के निजी सचिव/सहायक, पी०पी०यू०, पटना।
6. वेब संयोजक, पी०पी०यू०, पटना को अपलोड करने हेतु।
7. संरक्षित संचिका।

कुलसचिव
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

[illegible]